

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,  
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं— 10ए/2017

संस्थित दिनांक— 03.01.2017

01:—	दिमान सिंह पुत्र सुखनन्दन आयु 41 साल जाति यादव धंधा खेती निवासी ग्राम श्यामगढ टांडा डाकखाना प्राणपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
	..... वादी

विरुद्ध

01:—	धीरज सिंह पुत्र हजरत सिंह आयु 51 साल जाति यादव निवासी ग्राम श्यामगढ टांडा डाकखाना प्राणपुर तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
02:—	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जिलाधीश जिला अशोकनगर म0प्र0
	..... प्रतिवादीगण

/// निर्णय ///

:: आज दिनांक 18.05.2018 को पारित ::

- 01:—यह वाद ग्राम टाडा, श्यामगढ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 327 रकबा 12.187 हैक्टे0 पर स्थित भवन, जिसका क्षेत्रफल 200 गुणित 100 वर्गफुट है तथा जिसे निर्णय के आगे के चरणों में विवादित भवन के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर स्वत्व घोषणा एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से विवादित भवन का रिक्त अधिपत्य दिलाये जाने की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।
- 02:— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम टाडा श्यामगढ तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 327 रकबा 12.187 है0 शासकीय भूमि हैं तथा उस पर निर्मित विवादित भवन वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधिपत्य में है।
- 03:— स्वीकृत तथ्यों से अन्यथा वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भवन वादी ने कृषि उपयोग के लिये 15 वर्ष पूर्व निर्मित किया था तथा उक्त भवन निर्माण वादी ने मध्य प्रदेश शासन के नियम के अनुसार किया था, जिससे वादी भवन का स्वामी है, तथा विवादित भवन में अपने कृषि उपकरण रखता है। विवादित भवन से प्रतिवादी क्रमांक 01 का कोई संबंध नहीं है, न ही उक्त भवन के आस-पास उसकी कृषि भूमि है। दिनांक 01.08.2016 को वादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने जबरन उक्त भवन पर कब्जा कर लिया है और वादी के द्वारा भवन खाली करने का कहने पर वह झगडे पर

आमदा है।

04:—वादी के द्वारा दिनांक 18.10.2016 को रात्रि 08:00 बजे भवन खाली करने का कहने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 स्वयं को भवन का स्वामी कहने लगा और वादी के स्वत्व को नकारने लगा। वादी ने दिनांक 02.08.2016 एवं 19.10.2016 को पुलिस थाना चंदेरी में आवेदन भी प्रस्तुत किया था परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रतिवादी के भवन पर कब्जा करने से वादी को 500/— रुपये प्रतिमाह की दर से नुकसान हो रहा है। दिनांक 29.10.2016 को वादी ने विवादित भवन खाली करने का सूचना पत्र भी प्रतिवादी क्रमांक 01 को दिया था, परन्तु प्रतिवादी ने भवन खाली नहीं किया। वाद कारण दिनांक 01.08.2016, 29.10.2016 एवं 15.11.2016 को ग्राम श्यामगढ टांडा में उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात् यह वाद 2000/— रुपये पर मूल्यांकन करके 500/— रुपये के न्यायशुल्क के साथ निर्णय चरण क्रमांक 01 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया।

05:—स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से दावे का जबाब में दावे के अभिकांश अभिवचनों को अस्वीकार किया हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 के अनुसार विवादित भवन प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वामित्व व अधिपत्य का है जो उसने 20 वर्ष पूर्व बनवाया था जिसमें वह परिवार सहित 20 वर्षों से निवास कर रहा है। वादी ने यदि थाने पर कोई आवेदन पर दिये हो तो उसकी प्रतिवादी क्रमांक 1 को जानकारी नहीं है। विवादित भवन का प्रतिवादी क्रमांक 01 स्वामित्व व आधिपत्य धारी है इसलिये वादी को को 500/— रु प्रतिमाह की दर से नुकसान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। विवादित भवन शासकीय भूमि पर बना है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन आवश्यक पक्षकार हैं। वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 का सगा साला है तथा उसने दिनांक 02.08.2016 को प्रतिवादी क्रमांक 01 के पुत्र परमाल सिंह के साथ मारपीट भी की थी, जिसका आपराधिक प्रकरण वादी पर चंदेरी न्यायालय में चल रहा है। वादी ने आपराधिक प्रकरण से बचने के लिये दबाव डालने के लिये यह दावा प्रस्तुत किया है। वादी ने दिनांक 18.10.2016 का जो प्रमाणिकरण प्रस्तुत किया है कि वह धोखे व छल से बनवाया हैं। पंचायत रिकार्ड में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है। वादी ने धोखे से गलत प्रमाणिकरण बनाकर प्रतिवादी क्रमांक-01 के स्वामित्व व आधिपत्य का मकान हड़पना चाहता है। इस कारण यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06:—प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या ग्राम टांडा श्यामगढ में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 327 रकबा 12.187 हैक्टेयर में 200 बाय 100 फीट भवन, जिसके पूर्व में राजा भैया का	प्रमाणित नहीं।

	मकान, पश्चिम में दिमान सिंह का खेत, उत्तर में श्यामगढ व दक्षिण में पहाड स्थित है, का वादी भवन स्वामी है ?	
2.	यदि हाँ, तो क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उक्त भवन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या वादी उक्त भवन का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक 01 से प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 से उक्त भवन का रिक्त आधिपत्य प्राप्त होने तक अन्तर्वर्ती लाभ प्रतिमाह 500/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
5.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 20 अनुसार प्रदान किया गया

**—सकारण निष्कर्षः—**

**वाद प्रश्न क्रमांक-01 का विवेचन एवं निष्कर्षः—**

07:— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त वाद प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। वादी के अभिवचनों के आधार पर निर्मित होने से उपरोक्त वाद प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से अपने समर्थन में स्वयं दीमान सिंह (वा0सा0-01), कृपाल सिंह (वा0सा0-02), अजमेर (वा0सा0-03) सहित ग्राम पंचायत खानपुर के रोज सहायक बलराम (वा0सा0-04) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं।

08:— दिमान सिंह (वा0सा0-01) का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि विवादित मकान उसने शासकीय ग्राम आबादी की भूमि में 16 वर्ष पूर्व कृषि उपयोग हेतु 200 फुट गुणित 100 फुट क्षेत्र में निर्मित किया था, जिसके पश्चिम दिशा की ओर उसके तथा उसके परिवार की खेती है तथा वादी के अनुसार इसी विवादित मकान में प्रतिवादी धीरज सिंह (प्र0सा0-01) ने कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी धीरज सिंह (प्र0सा0-01) ने अपने सशपथ कथनों में वादी के कथनों का खण्डन करते हुये विवादित मकान अपने स्वामित्व व अधिपत्य का होना बताया है तथा धीरज सिंह (प्र0सा0-01) का कहना है कि उक्त मकान उसने बीस साल पहले बनवाया था, जिसमें वह मकान बनवाने के उपरांत से ही परिवार सहित निवास कर रहा है तथा उक्त मकान का दिमान सिंह (वा0सा0-01) का कोई संबंध नहीं है।

- 09:— प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि विवादित मकान जिस भूमि पर निर्मित है, वह भूमि शासकीय भूमि है, तथा वर्तमान विवादित मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का अधिपत्य है। मुख्य विवाद इस बात को लेकर है कि उक्त मकान किसने निर्मित किया था तथा उक्त मकान का स्वामित्व किसे प्राप्त है। दिमान सिंह (वा0सा0-01) ने विवादित मकान पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिये एक मात्र दस्तावेज प्रदर्श पी 01 का प्रमाणिकरण जो कि रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खानपुर बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) के द्वारा जारी किया गया, प्रकरण में प्रस्तुत किया है। वहीं प्रतिवादीगण की ओर से भी विवादित मकान पर स्वामित्व साबित करने के लिये बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) के द्वारा जारी प्रमाणिकरण प्रदर्श डी 01 उसके कथन प्रदर्श डी 02 व उसके समक्ष तैयार किया गया पंचनामा प्रदर्श डी 03 प्रकरण में प्रस्तुत किया है। बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) ने अपने न्यायालीन कथनों में प्रदर्श पी 01 एवं प्रदर्श डी 02 दोनों ही प्रमाणिकरण जारी करना स्वीकार किया है तथा उक्त प्रमाणिकरण पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है।
- 10:— बलराम प्रजापति का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि प्रदर्श पी 01 का प्रमाणिकरण स्वयं दिमान सिंह लेखकर ले आया था तथा श्यामगढ की बाखर का प्रमाणिकरण तहसील में उसे लगाना है, यह कह कर उसने प्रदर्श पी 01 के प्रमाणिकरण पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि प्रदर्श पी 01 के दस्तावेज का प्रमाणिकरण उसने अभिलेख से मिलान कर तैयार कर मिलान नहीं किया तथा इस साक्षी का कहना है कि जिस बाखर में दिमान सिंह परिवार सहित रहता है, उस बाखर का प्रमाणिकरण प्रदर्श पी 01 उसने बनाया था। दिमान सिंह (वा0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों की कण्डिका-10 में यह स्वीकार किया है कि विवादित मकान के अलावा उसकी स्वयं की भूमि पर श्यामगढ में मकान है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है, तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-16 में इस साक्षी का कहना है कि विवादित मकान में वह तीन वर्ष रहा था, उसके बाद से वह अपने निजी मकान में निवास कर रहा हैं।
- 11:— बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) व दिमान सिंह (वा0सा0-01) के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि बलराम सिंह (वा0सा0-04) के अनुसार प्रदर्श पी 01 का प्रमाणिकरण उसने दिमान सिंह (वा0सा0-01) के निजी मकान के संबंध में तैयार कर दिया था। यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 01 के प्रमाणिकरण में जो चौहदी दर्शाई गई है, वह प्रदर्श डी 01 के प्रमाणिकरण में दर्शाई गई चौहदी के समान है, तथा प्रदर्श पी 01 में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक-327 पर निर्मित मकान का प्रमाणिकरण जारी करने का उल्लेख है। अतः यह स्पष्ट होता है कि बलराम प्रजापति का यह कहना है कि प्रदर्श पी 01 का प्रमाणिकरण उसने दिमान सिंह (वा0सा0-01) के निजी मकान के संबंध में जारी किया था, विश्वसनीय नहीं है। बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) के प्रदर्श डी 02 के कथन स्वयं लेख करना प्रदर्श डी 03 का पंचनामा अपने सामने तैयार होना अपने न्यायालीन कथनों में बताता है, जिसमें विवादित मकान धीरज सिंह (प्र0सा0-01) के द्वारा निर्मित किया जाना व उस पर धीरज सिंह का स्वामित्व होना लेख किया गया है।

देखा यह जाना है कि वास्तव में विवादित मकान के संबंध में उपरोक्त दस्तावेज स्वामित्व का प्रमाण माने जा सकते हैं या नहीं।

- 12:— बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) अपने कथनों में यह स्वयं यह स्वीकार करता है कि विवादित मकान का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तथा उसने प्रदर्श पी 01 एवं प्रदर्श डी 01 का प्रमाणिकरण बिना अभिलेख देखे एवं बिना अभिलेख से मिलान कर तैयार किया है तथा इस साक्षी ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-02 व 05 में क्रमशः यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 01 एवं प्रदर्श डी 01 के प्रमाणिकरण का पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अतः यदि पंचायत में विवादित मकान का कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है तथा पंचायत के द्वारा विधिवत् विवादित मकान बनाने के लिये भूमि आबंटित ही नहीं की गई, तो ऐसे में बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) के द्वारा जारी किये गये प्रमाणिकरण प्रदर्श पी 01 व प्रदर्श डी 01 बिना किसी आधार के मनमाने तरीके से जारी किये गये हैं तथा इस साक्षी की साक्ष्य व तैयार किये गये दस्तावेजों के आधार पर विवादित मकान पर किसी व्यक्ति को कोई स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- 13:— विवादित मकान शासकीय भूमि पर स्थित है, इस संबंध में विवाद की स्थिति नहीं है, उक्त शासकीय भूमि ग्राम आबादी की भूमि है, ऐसा दिमान सिंह (वा0सा0-01) का अपने सशपथ कथनों में तो कहना है, परन्तु इस तथ्य को साबित करने के लिये अभिलेख पर वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। ग्राम पंचायत खानपुर के रोजगार सहायक बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) तक का अपने न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि विवादित भूमि शासकीय ग्राम आबादी की शासकीय भूमि है, तथा उक्त भूमि विधिवत् मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा-243 के तहत वादी या प्रतिवादी में से किसी को ग्राम पंचायत या तहसीलदार के द्वारा मकान बनाने के लिये आबंटित की गई थीं। बलराम प्रजापति विवादित मकान के संबंध में कोई अभिलेख तक पंचायत में उपलब्ध न होना बताता है।
- 14:— दिमान सिंह (वा0सा0-01) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसे विवादित मकान जिस भूमि पर बना है, उसका पट्टा नहीं मिला और न ही पंचायत में विवादित मकान का उसके नाम का कोई अभिलेख है। अभिलेख पर वादी या प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई शासकीय स्वीकृति या अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई, जो यह दर्शित करती हो कि उक्त शासकीय भूमि मकान बनाने के लिये वादी या प्रतिवादी में से किसी को आबंटित की गई। अतः शासकीय भूमि पर बिना पूर्व अनुमति व स्वीकृति के हुआ कोई भी निर्माण कार्य अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, तथा उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया और बिना अधिकार के शासकीय भूमि पर किये गये निर्माण कार्य से उक्त निर्माण पर किसी को कोई स्वत्व प्राप्त होता है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित मकान का भवन स्वामी होना प्रमाणित नहीं होता है। **अतः वाद**

प्रश्न क्रमांक 01 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक—02, 03 व 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 15:— विवादित मकान शासकीय भूमि पर निर्मित होने एवं बिना किसी अनुमति एवं आबंटन के निर्मित होने के आधार पर विवादित मकान का वादी का स्वामित्व प्रमाणित नहीं है। वादी दिमान सिंह (वा0सा0-01) का कहना है कि विवादित मकान उसके द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि 16 साल पहले बनाया गया था, जिस पर एक साल पहले प्रतिवादी क्रमांक 01 धीरज सिंह ने कब्जा कर लिया है, जबकि धीरज सिंह (प्र0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उक्त मकान बीस वर्ष पूर्व उसने बनाया था जिसमें वह मकान निर्माण के बाद से परिवार सहित निवास कर रहा है। विवादित मकान वादी के द्वारा निर्मित किया गया है इसका समर्थन स्वयं वादी साक्षी बलराम प्रजापति (वा0सा0-04) ने अपने न्यायालीन कथनों में नहीं किया है तथा उक्त मकान धीरज सिंह के द्वारा निर्मित किया जान बताता है।
- 16:— दिमान सिंह (वा0सा0-01) का कहना है कि प्रतिवादी के द्वारा एक वर्ष पूर्व विवादित मकान कब्जा किया गया है, परन्तु इस बात का समर्थन स्वयं उसी का साक्षी कृपाल सिंह (वा0सा0-02) अपने न्यायालीन कथनों में नहीं करता हैं। कृपाल सिंह (वा0सा0-02) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 05 में कहना है कि 25 सालों से वादी तथा प्रतिवादी अपने अपने मकानों में निवास कर रहे हैं तथा इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण में की कण्डिका 07 में यह कहना है कि दिमान सिंह (वा0सा0-01) ने 25 साल पहले धीरज सिंह को रहने के लिये दिया था। अतः कृपाल सिंह (वा0सा0-02) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि दिमान सिंह (वा0सा0-01) के अनुसार एक वर्ष पूर्व प्रतिवादी धीरज सिंह ने विवादित मकान पर कब्जा नहीं किया बल्कि वह पूर्व से विवादित मकान पर निवास कर रहा है। अतः वादी साक्षियों के द्वारा ही वादी का इस बात पर समर्थन नहीं किया गया है कि धीरज सिंह (प्र0सा0-01) ने विवादित मकान पर एक वर्ष पूर्व कब्जा किया है।
- 17:— धीरज सिंह (प्र0सा0-01) का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि वादी का उसके पुत्र व पत्नी से विवाद हुआ था, जिससे राजीनामा करने के लिये दवाब बनाने के लिये यह मिथ्या वाद दिमान सिंह (वा0सा0-01) के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दिमान सिंह (वा0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12 में इस दावे के पूर्व प्रतिवादी के पुत्र परमाल सिंह से विवाद होने की घटना व उसका न्यायालय में प्रकरण चलना स्वीकार किया है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक-01.08.2016 को वादी, प्रतिवादी धीरज सिंह के द्वारा विवादित मकान पर कब्जा करना बताता है, परन्तु उसके बाद भी वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई थाने पर रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही नहीं की गई, जिसे वादी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-17 में स्वीकार भी किया है।

18:— प्रतिवादी धीरज सिंह की ओर से दिनांक—02.08.2016 को उसके पुत्र परमाल सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श डी 04 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। यदि दिनांक—01.08.2016 को प्रतिवादी ने विवादित मकान पर कब्जा किया था तो दूसरे दिन विवाद होने के बाद भी वादी के द्वारा उक्त कब्जा किये जाने की रिपोर्ट तक नहीं की गई तथा इस घटना के लगभग दो से ढाई महीने बाद प्रदर्श पी 02 का सूचना पत्र जो प्रदर्श पी 03 की रसीद से प्रेषित किया गया एवं प्रदर्श पी 04 का थाने पर आवेदन दिया गया। यदि वास्तव में प्रतिवादी के द्वारा वादी के अधिपत्य के किसी मकान पर कब्जा किया गया होता, तो यह स्वभाविक है कि विवाद होने के तुरन्त बाद ही वादी प्रतिक्रिया स्वरूप इस संबंध में कार्यवाही अवश्य करता, परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही वादी के द्वारा तत्काल नहीं की गई, जबकि प्रतिवादी धीरज सिंह की ओर से परीक्षण कराये गये साक्षी शिशुपाल (प्र0सा0—02) व दिवान सिंह (प्र0सा0—03) के कथन धीरज सिंह (प्र0सा0—01) के कथनों का पूरी तरह से समर्थन करता है कि उन्होंने लगभग 15 साल से धीरज सिंह को विवादित मकान में देखा है।

19:— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि विवादित मकान का प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप कर दिनांक 01.08.2016 को जबरन कब्जा कर लिया। विवादित मकान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, जिसके संबंध में यह तो कहा जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, परन्तु यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादी के स्वामित्व के विवादित भवन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और यदि वादी के स्वामित्व के किसी भवन पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा कब्जा किया जाना ही प्रमाणित नहीं है, तो उक्त विवादित भवन का वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 से रिक्त अधिपत्य प्राप्त करने का भी न तो अधिकार रखता है, और न ही पांच सौ रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरलाभ धन प्राप्त करने का अधिकार रखता है। **अतः वाद प्रश्न क्रमांक 02, 03 व 04 प्रमाणित न होने से उनका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**

#### **वाद प्रश्न क्रमांक—05 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

##### **सहायता एवं वाद व्यय**

20:— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी विवादित मकान पर अपना स्वामित्व साबित करने में असफल रहा है तथा वादी यह साबित करने में भी असफल रहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विवादित मकान से वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप कर जबरन कब्जा कर लिया है, परन्तु इसका यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से विवादित मकान में उक्त कारण से कोई अधिकार अर्जित होते हैं। विवादित मकान शासकीय भूमि पर स्थित होकर निश्चित रूप से अतिक्रमण है, उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा—248 में स्पष्ट प्रावधान हैं, जो विधिवत् प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त प्रतिवादी क्रमांक 02

उक्त कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। वादी दिमान सिंह अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:— यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:— वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित  
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित  
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.